संख्या:3/2025/I/904633/2025/133/46-2/227/2025

प्रेषक,

नूतन अग्निहोत्री,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2025**

विषय:- प्रदेश की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या:24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू.5.00 करोड़ को स्वीकृत /अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या:24 के अन्तर्गत धनराशि रू.5.00 करोड़ (रूपए पांच करोड़ मात्र) का प्राविधान किया गया है। उक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ के पत्र संख्या:3168/ यू.पी.एफ./प्र.प्र.लेखा/कर्मचारियों देयों/2024-25, दिनांक 22.02.2025 के सन्दर्भ में धनराशि रु.5.00 करोड़ (रूपए पांच करोड़ मात्र) को ऋण के रूप में स्वीकृत करने तथा उक्त का व्यय प्रदेश की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान मद में किये जाने की, राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के अतर्गत प्रदेश की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराएँ :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उल्लखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चचित किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा, एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

(3) धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

(4) ऋण की ब्याज सहित अदायगी ऋण आहरण की तिथि से 10 वर्ष में की जाएगी। मूलधन एवं ब्याज की पहली किस्त ऋण आहरण के प्रथम वर्षगाँठ की तिथि होगी। अग्रतर किस्तों की अदायगी इसी प्रकार 01 वर्ष की समाप्ति पर पड़ने पर वर्षगाँठ तिथि को की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in/

(5) ब्याज की दर अन्तिम रूप से 14 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किये जाने की दशा में 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(6) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य नहीं होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(7) प्रशासकीय विभाग द्वारा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

(9) संघ द्वारा ऋण की किस्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें :-

(i) कोषागार का नाम-

(ii) चालान संख्या तथा दिनांक-

(iii) जमा धनराशि किस्त ब्याज

(iv) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किस्त ब्याज

(v) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ

(vi) पिछले जमा का सन्दर्भ

(10) चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

(11) भविष्य में शासन द्वारा स्वीकृत ऋण तभी अवमुक्त किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया गया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण-वितरण तथा धनराशि के उपयोग की पूर्ण सूचना, बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित, शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

(13) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट-शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

(14) उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा प्रदेश की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान सम्बन्धी व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in/

स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(16) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रुपये 5,00,00,000.00 (रुपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-024 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज, 04-चीनी, 101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज, 22-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रूग्ण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज, 30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-235-X-2024-25, दिनांक 10.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नूतन अग्निहोत्री

अनु सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4. आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नूतन अग्निहोत्री

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in/